

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/22/816

दिनांक: 06-04-2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2 (क)(385) जांच/डीएलबी/2021/1074-1084 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा श्रीमती रामकन्या गुर्जर सभापति एवं सदस्या वार्ड संख्या 10 नगर परिषद प्रतापगढ को निलम्बित किया गया है। नगर परिषद प्रतापगढ सभापति का पद ओ.बी.सी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

अतः वरिष्ठ महिला पार्षद कौशल्या देवी/गोविन्द सिंह ओ.बी.सी महिला वर्ग सदस्या वार्ड संख्या 24 नगर परिषद प्रतापगढ को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के अध्यक्षीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार दिया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 06-04-2022

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/22/817-830

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, प्रतापगढ।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. श्रीमती रामकन्या गुर्जर पूर्व सभापति नगर परिषद प्रतापगढ।
9. आयुक्त नगर परिषद प्रतापगढ।
10. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन हेतु।
11. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
13. कौशल्या देवी/ गोविन्द सिंह पार्षद सदस्य नगर परिषद प्रतापगढ।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी